FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ग्राम पंचायत बनाम आशा कंवर वगै0

किस्म मुकदमा:–दावा अ.धा. 88, 188 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर– 10 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुये
03.01.2024	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 11.01.2024 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	9-31 4-1-24
11-1-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-1-24 को पेश हो।	
12-01-2024 —	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 23 की तामील जरिए रजिस्ट्रर्ड डाक तामिल होकर लौटी है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 5,7,8,9,14,16,21 की ओर से ईकबाली जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रकरण मे आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/01/24 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	विकास सिंह आदित्य सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2024	2024/04	03.01.2024	12.01.2024

उनवान प्रकरण

1. ग्राम पंचायत हरदासकाबास जरिए सरपंच अनोप कंवर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0)

-- **वादी**--

बनाम्

1. आशा कंवर पत्नी घनश्यामसिंह
2. कृष्णा कंवर पुत्री छीतरसिंह
3. देवीसिंह पुत्र छीतरसिंह
4. धर्मवीरसिंह पुत्र रतनसिंह
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र कबूलसिंह
6. नीतू कंवर पुत्री नाथूसिंह
7. पूरण कंवर पत्नी कबूलसिंह
8. प्रमोद कंवर पत्नी रतनसिंह
9. बिड़दूसिंह पुत्र रतनसिंह
10. महेन्द्रसिंह पुत्र धनसिंह
11. माफ कंवर पत्नी छीतरसिंह
12. मीना कंवर पुत्री नाथूसिंह
13. रणवीरसिंह पुत्र छीतरसिंह
14. रतनसिंह पुत्र प्रभुसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

12/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

15. रसाल कंवर पुत्रीधनसिंह

16. विकाससिंह पुत्र रतनसिंह

17. विरेन्द्रसिंह पुत्र छीतरसिंह

18. वीरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह

19. सुगनसिंह पुत्र माधोसिंह

20. सुप्यार कंवर पुत्री धनसिंह

21. सायरसिंह पुत्र कबूलसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन नीमकाथाना (राज0)

22. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन नीमकाथाना (राज0)

23. शाखा प्रबंधक स्टेट ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ़ जिला सीकर नवीन नीमकाथाना (राज0)

----प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियां एड0 प्रतिवादीगण संख्या 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या-[illegible] ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

12/01/24

दिलीप सिंह

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 127, 34, 375, 382, 384, 385, 387, 39, 480, 481, 483, 485, 492 कुल किता 13 कुलज रकबा 5.04 हैक्टर तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 21 के नाम दर्ज हैं जो कि गलत हैं व दुरूस्तनीय हैं। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर 492 मे मकानात बने हुये हैं व आबादी बसी हुई हैं तथा खातेदार मु. पत्नि आसूसिंह, मु.पत्नि दलसिंह, मु.पत्नि भूरसिह फौत हो चुके हैं। भूमि खसरा नम्बर 492 के पूर्व खसरा नम्बर 400 थे जिसकी पूर्व की गिरदावरियां मे भी उक्त भूमि मे आबादी दर्शित हैं। उक्त भूमि मे ग्रामवासियों द्वारा पक्का मकानात बनाकर आबाद हैं तथा बिजली का कनैक्शन आदि लेकर आबाद हैं। वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में आबादी बसकर लगातार पिछले 50-60 वर्षो से लोगो का अपने अपने मकानो पर निर्विवाद रूप से काबिल चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण एंव इनके बुजुर्गान का कोई कब्जा नही रहा है, ना ही वर्तमान में है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का उक्त भूमि पर खातेदरी दर्ज कराने का विधिक अधिकार ... हो चुका है। आमजनता अपने अपने भूखण्डो पर मकान बनाकर काबिज होने के कारण उक्त भूमियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

12/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारी है, लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम नहीं होने के कारण वादी व आमजनता को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक व अन्य सहायताओ का लाभ भी वादी व आमजनता को नही मिल रहा है। इस कारण वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है जिससे उक्त भूमि मे काबिज व्यक्तियों के हक हिस्से अनुसार उन्हे अपना अपना पट्टा प्राप्त हो सके। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि वादी के नाम करवाने का निवेदन भी किया था परन्तु प्रतिवादीगण आनाकानी करने लग गये इसी वजह से खातेदारी दर्ज नही होने के कारण वादकारण उत्पन्न होने पर दावा पेश किया हैं। अतः वादी ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि मे से कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.15 हैक्टर किश्म मकान तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन नीमकाथाना (राज0) को वादी के नाम खातेदारी व किश्म आबादी अंकित की जाकर अलग से बट्टा नम्बर डालकर अलग से खातेदारी अंकित की जा[illegible]का नाम उक्त भूमि के रकबे से राजस्व रिकार्ड से [illegible] तथा उक्त भूमि को वादी के नाम घोषित करवाने हेतु सभी खातेदारान द्वारा सहमति ना दिये जाने की दिशा में जिन जिन खातेदार द्वारा सहमति प्रदान की जावे उतने रकबे का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर अलग से बट्टा नम्बर डालकर उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की किश्म आबादी मे दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 की ओर से एडवोकेट कानाराम पूनिया आये व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 की ओर से सम्यक तामिल के बावजूद कोई उपस्थित नही आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 17 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वकील/वादी ने बहस मे ईकबाली जवाब के आधार पर दावा-डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074-2077 जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल, पुरानी गिरदावरियों का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

12/01/23
दिलीप [illegible]
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नम्बर 127, 34, 375, 382, 384, 385, 387, 39, 480, 481, 483, 485, 492 कुल किता 13 कुलज रकबा 5.04 हैक्टर तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे से भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.15 हैक्टर मे प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 के नाम दर्ज 1/4 हिससे को मौके पर प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 के बने हुये मकानात के अनुसार अलग से बट्टा नम्बर डालकर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त रकबे को आबादी मे दर्ज करने के आदेश दिये जाना तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम करना तथा प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 का भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.15 हैक्टर मे नाम हजफ कर प्रतिवादीगण द्वारा बैंक रहन उनके अन्य खसरा नम्बरान पर दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 127, 34, 375, 382, 384, 385, 387, 39, 480, 481, 483, 485, 492 कुल किता 13 कुलज रकबा 5.04 हैक्टर तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे से भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:31:47 IST
Reason: SelfAttested

12/01/24

खसरा नम्बर 492 रकबा 0.15 हैक्टर मे प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 की सहमति/इकबालिया जवाब के आधार पर इनके नाम दर्ज 1/4 हिस्से को मौके पर प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 के बने हुये मकानात के अनुसार अलग से बट्टा नम्बर डालकर वादी ग्राम पंचायत हरदासकाबास को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त रकबे को आबादी मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम हो तथा प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7, 8, 9, 14, 16, 21 का भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.15 हैक्टर मे नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है व प्रतिवादीगण के बैंक रहन को अन्य खसरा नम्बरान पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested